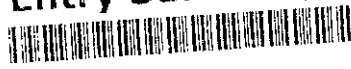




Online Public Data Entry Summary



ukpde2017090401660

22-Nov-2017

11:37:08AM

DISTRICT NAME : टिहरी गढ़वाल SRO : टिहरी

Deed/Article Type : Trust (Movable)

Sub-Deed/Sub-Article : Trust (Movable)

Village/Location

Area

0.0000

Market Value : 0.00

Regn Fees : 100.00

Stamp Duty : 0.00

Transaction Value : 0.00

Lease Period : 0.00

Avg. Rent : 0.00

Construction Value : 0.00

Advance : 0.00

Khatoni

Khewat

House/Flat

Khasra

Page : 26

Words : 1,000

Deed Writer

Land Value : 0.00

/Advocate Name

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं.	निर्माण का प्रकार	रकम
---------	-------------------	-----

आवासीय निर्माण का विवरण

क्र.सं.	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	हास वर्ष	रकम
---------	-----------------	-------------------	------------	----------	-----

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र.सं.	सुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	100.00	

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र.सं.	सुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टाम्प विक्रेता आईडी
1	Physical Stamp	0.00	0	22-Nov-2017	0

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं.	मोबाइल नं.	पहचान पत्र संख्या
बिच्रेता / पक्ष पक्ष	C/O जिला अधिकारी, जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल निवासी टिहरी गढ़वाल		GOVT. JOB	FORM 60		DL UK-0820020173180 VOTER ID : AJU0162818
प्रेता / द्वितीय पक्ष	C/O जिला खान अधिकारी, जिला खान अधिकारी टिहरी गढ़वाल निवासी टिहरी गढ़वाल		GOVT. JOB	FORM 60		ADHAAR 6222 7264 6887
गवाह	श्री केशव गैंगोला पुत्र श्री मन्मोहन जी पी. गैंगोला निवासी जिला कार्यालय टिहरी गढ़वाल		GOVT. JOB			ADHAAR 8207 4437 4093
गवाह	श्री विवेक राणा पुत्र श्री मन्मोहन जी राणा निवासी जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल		GOVT. JOB			

(प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला)

लेख या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक

22-Nov-2017

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम

जिला अधिकारी

लेख का प्रकार

Trust (Movable)

प्रतिफल की धनराशि

1 रजिस्ट्रीकरण शुल्क

100.00

2 प्रतिलिपिकरण शुल्क

10.00

3 इलैक्ट्रॉनिक शुल्क

260.00

4 निरीक्षण या तलाश शुल्क

0.00

5 मुख्तारनामा के अभिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क

0.00

6 कमीशन शुल्क

0.00

7 नकल शुल्क

0.00

8 विविध

0.00

9 यात्रिक भत्ता

0.00

10 कम रजिस्ट्रीकरण शुल्क

0.00

11 योग

370.00

शुल्क वसूल करने का दिनांक

22-Nov-2017

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 22-Nov-2017

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर उपनिबंधक, टिहरा

(भाग 1 की प्रतिलिपि पर फिर से लगाया जाने वाला)

(अधिनियम 16,1908 की धारा 52 के अधीन रसीद

प्रस्तुतकर्ता या प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थी का नाम

जिला अधिकारी

निष्पादक का नाम

जिला अधिकारी

लेख का प्रकार

Trust (Movable)

--: आदेश :-

शासनादेश संख्या-1764/VII-1/2017/8ख/16 दिनांक 17.11.2017 तथा औद्योगिक विकास अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-1621/VII-1/2017/8ख/16 दिनांक 17.11.2017 के क्रम में जनपद टिहरी गढ़वाल में निम्नप्रकार जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के अन्तर्गत शासी परिषद एवं प्रबन्ध समिति का निम्नप्रकार गठन किया जाता है :-

शासी परिषद, जनपद टिहरी गढ़वाल:-

- | | | | |
|-----|--|----|------------|
| 01. | मा0 प्रभारी मंत्री, जनपद टिहरी गढ़वाल | :- | अध्यक्ष |
| 02. | मा0 सदस्य विधानसभा | :- | सदस्य |
| | (मा0विधायक टिहरी/नरेन्द्रनगर/धनोली/प्रतापनगर/घनसाली/देवप्रयाग) | :- | सदस्य |
| 03. | जिला अधिकारी/कलेक्टर | :- | सदस्य |
| 04. | जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के दो गणमान्य व्यक्ति
(जो खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य से संबंधित हों) | :- | सदस्य |
| 05. | मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 06. | मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 07. | अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 08. | अधिशाली अभियंता, लघु सिंचाई, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 08. | अधिशाली अभियंता, पेयजल निगम, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 09. | अधिशाली अभियंता, लो0नि0विभाग (प्रान्तीय खण्ड) बौराड़ी | :- | सदस्य |
| 10. | जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 11. | जिला पंचायतराज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 12. | सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी | :- | सदस्य |
| 13. | अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 14. | ग्राम प्रधान (खनन गतिविधि प्रभावित क्षेत्र के) | :- | सदस्य |
| 15. | ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य-सचिव |

इसके अतिरिक्त जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली-2017 के क्रम में जनपद में निम्नप्रकार प्रबन्ध समिति का गठन किया जाता है :-

प्रबन्ध समिति, टिहरी गढ़वाल:-

- | | | | |
|-----|--|----|------------|
| 01. | जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | अध्यक्ष |
| 02. | मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 03. | ग्राम प्रधान (खनन गतिविधि प्रभावित क्षेत्र के) | :- | सदस्य |
| 04. | मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 05. | अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 06. | अधिशाली अभियंता, लघु सिंचाई, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 07. | अधिशाली अभियंता, पेयजल निगम, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 08. | अधिशाली अभियंता, लो0नि0विभाग (प्रान्तीय खण्ड) बौराड़ी | :- | सदस्य |
| 09. | जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 10. | जिला पंचायतराज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य |
| 11. | सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी | :- | सदस्य |
| 12. | अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नई टिहरी | :- | सदस्य |
| 13. | ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी, टिहरी गढ़वाल | :- | सदस्य-सचिव |

उक्त गठित शासी परिषद तथा प्रबन्ध समिति, टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली-2017 (संलग्न) में दिये गये दिशा निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगी।

(सोनिका)

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

163

कार्यालय जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

संख्या- /30- 08 (2017-2018) दिनांक, नई टिहरी, नवम्बर 22 2017

प्रतिलिपि-निम्नांकित को नियमावली की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित :-

01. मा0 प्रभारी मंत्री, जनपद टिहरी गढ़वाल।

जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली-2017 (संलग्न) में दिये गये दिशा निर्देशानुसार कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगी।



उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग 1

संख्या : /VII-1/2017/8 ख/16

देहरादून, दिनांक : 1 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

मन्यमान, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क-टीम अधिनियम संख्या 67 सन 1957) की धारा 8 या की उपधारा (3) और धारा 15 एवं 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते अधिसूचना संख्या 1329/VII-1/2017/08ख/16, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 द्वारा स्थापित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास फाउन्डेशन न्यासों की संरचना और उनके कर्तव्यों का विनियमन करने और खान क्रियाकलापों के प्रभावित क्षेत्र में विकास संबंधी क्रियाकलाप सम्पादित करने की शक्ति को विहित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने के लिए -

उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017

- | | | |
|--|----|--|
| संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ | 1. | <p>(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 है।</p> <p>(2) यह दिनांक 12 नवम्बर, 2015 को प्रवृत्त हुई राजपत्री जायेगी।</p> <p>(3) यह सम्पूर्ण प्रदण में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होगी।</p> |
| परिभाषाएं | 2. | <p>जब तक शब्दों से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,</p> <p>(क) 'अधिनियम' से अर्थात् समय पर यथा संबंधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 अभिप्रेत है;</p> <p>(ख) 'प्रभावित क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां खनन सक्रियता की तात्कालिकता जायी हो;</p> <p>(ग) 'प्रभावित व्यक्ति' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिनसे खनन से संबंधित क्रियाकलापों द्वारा व्यतिरिक्त रूप से क्षति होती है या जिसकी सम्पत्ति की क्षति होती है;</p> <p>(घ) 'निधि' से न्यास की निधि अभिप्रेत है;</p> <p>(ङ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;</p> <p>(च) 'परिवार धारकों' से अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमानुकी के उपबन्धों के अधीन स्वीकृत खनन पट्टा, पूर्वज्ञान अनुज्ञापत्र या खनन अनुज्ञापत्र के धारक अभिप्रेत हैं;</p> <p>(छ) 'खनिज और उपखनिज' से ऐसे खनिज अभिप्रेत हैं, जो अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित हैं;</p> <p>(ज) 'न्यास' से अधिसूचना सं० 1329/VII-1/2017/08ख/16, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 द्वारा परिभाषित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास अभिप्रेत है;</p> <p>(झ) 'न्यास विलेख' से राज्य सरकार द्वारा न्यासियों के पदा में नियमित विवेक अभिप्रेत है;</p> <p>(ञ) 'न्यास/न्यासीगण' से न्यास को शासित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/प्राप्त अभिप्रेत हैं।</p> |

E.E. Jain
New Tehri
जिलाधिकारी
देहरादून

बही संख्या 4 रजिस्ट्रीकरण संख्या 76 वर्ष 2017

Trust (Movable)

Trust (Movable)

रजिस्ट्रेशन शुल्क
रु0 100.00

प्रतिलिपि शुल्क
रु0 10.00

इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुल्क
रु0 260.00

कुल योग
रु0 370.00

शब्द लगभग
1,000

C/Oजिला अधिकारी , जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल निवासी टिहरी गढ़वाल
ने आज दिनांक 22 Nov 2017 समय मध्य 12PM व 1PM को कार्यालय उपनिबन्धक
टिहरी में प्रस्तुत किया।



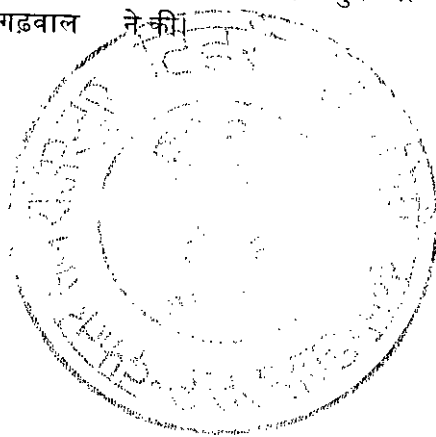
Signature
जिला अधिकारी

Signature

उपनिबन्धक
टिहरी
22-Nov-2017

इस लेख पत्र का निष्पादन निम्नलिखित तथ्यों को सुन कर करवाकर C/Oजिला
अधिकारी , जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल निवासी टिहरी गढ़वाल ने
प्रलेखानुसार निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन प्रलेखानुसार
C/Oजिला खान अधिकारी , जिला खान अधिकारी टिहरी गढ़वाल निवासी टिहरी
गढ़वाल ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री केशव गैरोला पुत्र श्री स्व० जे० पी० गैरोला निवासी जिला
कार्यालय टिहरी गढ़वाल तथा श्री विरेन्द्र राणा पुत्र श्री स्व० अतार सिंह राणा निवासी
जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल ने की।



Signature
उपनिबन्धक
टिहरी
22-Nov-2017

न्यास के उद्देश्य 3. न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

- (1) 'खनन संक्रियाओं' या अन्य संबंधित क्रियाकलापों एवं खनिज परिवहन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित तथा उनकी प्रसुविधा के लिए कार्य करना;
- (2) प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिए जिला खनिज फाउन्डेशन में संग्रहीत निधियों का उपयोग करना; और
- (3) ग्राम सड़क, जलीय स्थान एवं अन्य सामान्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श पर निधि का उपयोग करना;

न्यास का गठन एवं प्रबन्ध 4. न्यास का गठन एवं प्रबन्ध नियमानुसार होगा :-

- (1) न्यास में एक शासी परिषद् एवं एक प्रबन्ध समिति होगी;
- (2) न्यास का प्रबन्ध करने का प्राधिकार शासी परिषद् में निहित होगा;
- (3) शासी परिषद् में निम्नलिखित होंगे :-

(क) संबंधित जनपद के मा० प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
(ख) संबंधित मा० सदस्यगण विधान सभा	सदस्य
(ग) जिलाधिकारी / कलेक्टर	सदस्य
(घ) जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के दो गणमान्य व्यक्ति (जो कि खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य से संबंधित हों)	सदस्य
(ङ) मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(च) मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
(छ) सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ज) लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(झ) पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ञ) लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ट) जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(ठ) जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
(ड) उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी	सदस्य
(ण) अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग) जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य
(त) खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(थ) ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी	सदस्य सचिव

नोट:-संबंधित जनपद के मा० प्रभारी मंत्री यदि अपरिहार्य कारणों से परिषद् की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो परिषद् के सदस्यों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता हेतु मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया जायेगा।

- (4) गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 03 वर्ष होगा;
- (5) कोई सरकारी सदस्य तब पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत हो जाय;
- (6) न्यास की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली प्रबन्ध समिति में निहित होगी।

[Handwritten signature]

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

बही संख्या 4 रजिस्ट्रीकरण संख्या 76 वर्ष 2017



[Signature]

जिला अधिकारी



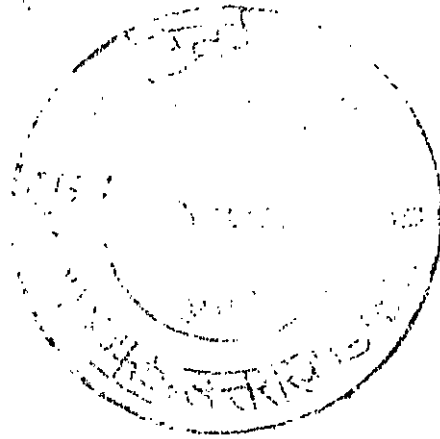
[Signature]

केशव गैरोला



[Signature]

विरेन्द्र राणा



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

[Signature]
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, टिहरी
22 Nov 2017

(क) प्रत्येक समिति के निम्नलिखित होंगे

(क) अध्यक्ष

अध्यक्ष

(ख) मुख्य निदेशक अधिकारी

सदस्य

(ग) स्वयं प्रतिनिधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान

सदस्य

(घ) मुख्य निदेशक अधिकारी

सदस्य

(च) विभागीय विभाग के प्रतिनिधि (अभिधायी) अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो

सदस्य

(छ) समूह विभागीय विभाग के प्रतिनिधि (अभिधायी) अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो

सदस्य

(ज) प्रत्येक विभाग के प्रतिनिधि (अभिधायी) अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो

सदस्य

(झ) लोक विभाग विभाग के प्रतिनिधि (अभिधायी) अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो

सदस्य

(ड) विद्या शिक्षा अधिकारी

सदस्य

(ढ) विद्या प्रसारण अधिकारी

सदस्य

(ण) उत्तराखण्ड पर्यावरण प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सदस्य समिते द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी।

सदस्य

(त) अभिधायी अभियन्ता विद्युत वितरण विभाग, जनपद स्तरीय अधिकारी

सदस्य

(थ) लोक स्वीन अधिकारी स्वीन अधिकारी

सदस्य

समिते

(ख) प्रत्येक समिति का कोई सरकारी सदस्य, सदस्य का पद धारण करने से परित्यक्त हो जायेगा जब वह सरकारी पद धारण करने में परिवर्तित हो जाय।

न्यास के कृत्य

5. (1) नियम 4 में सम्मिलित 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में शाली परिषद् की बैठक सम्पन्नित जनपद के मा. प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में की जायेगी। मा. प्रभारी मंत्री यदि अपरिहार्य कारणों से परिषद् की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो परिषद् के सदस्यों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता हेतु मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया जायेगा। प्रबन्ध समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समय-समय पर, जैसा परिषद् की समझे आयोजित की जायेगी।

(2) स्वयं समितियों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों की प्रत्युक्ति के लिए प्रस्ताव सम्बन्धित विभाग के परामर्श से सम्बन्धित लोक स्वीन अधिकारी/स्वीन अधिकारी द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किये जायेगे।

(3) प्रस्ताव निम्नलिखित प्रकृति का होगा

(क) क्षेत्र की आभातभूत अवसरचना उदाहरणार्थ पट्टा मार्ग का निर्माण एवं अनुसूचित विद्युत व्यवस्था, पेयजल सुविधा, हिरण्यमय तथा न्यास द्वारा अनुमोदित अन्य जन उपयोगी कार्य।

(ख) स्वयं समितियों से प्रभावित क्षेत्र में तथा उसके चारों ओर सामान्य वृक्षारोपण।

(ग) स्थानिक विकास के हित में न्यास द्वारा अनुमोदित अन्य किया-कलाप।

(4) न्यास की बैठक में लोक स्वीन अधिकारी/स्वीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया जायेगा। न्यास समिते प्रस्ताव को अनुमोदित या न करे, उस परीक्षा कर सकती है।

Handwritten signature

Official stamp and signature

- (5) अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों में न्यास द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को लागू करने से पूर्व ग्राम पंचायत की संस्तुति प्राप्त करनी होगी;

शासी परिषद् की 6. शक्तियाँ एवं कृत्य

शासी परिषद् निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :-

- (1) न्यास की कार्यप्रणाली के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करना और समय-समय पर उसकी कार्य पद्धति की समीक्षा करना;
- (2) न्यास की वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट तैयार किया जाना और उसे अनुमोदित किया जाना।

शासी परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के कम से कम एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदित की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में तत्संबंधी प्रायोगिक उपबन्धों सहित योजनाओं और परियोजनाओं की सूची अन्तर्विष्ट होगी;

परन्तु यह कि यदि किसी भी कारण से शासी परिषद् वार्षिक कार्य योजना और बजट विनिर्दिष्ट समय के भीतर तैयार कर अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यक्ष को न्यास की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट तैयार करने और तदनुमोदित कारण अभिलिखित करते हुए उसे अनुमोदित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार तैयार किया गया बजट शासी परिषद् द्वारा सम्यक रूप से तैयार एवं अनुमोदित किया गया समझा जायेगा।

परन्तु यह और भी कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय पूर्व प्रतिबद्धता और उससे उत्पन्न होने वाली देनदारियों के कुल योग का निर्धारण किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने एवं परियोजना को समय से पूरा करने के लिए पूर्व देनदारियों और प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावित की जा रही नई योजनाओं का कुल योग, किसी भी दशा में अगले वित्तीय वर्ष के लिए न्यास में पायी गयी प्रत्याशित अर्न्तप्रवाहों के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।

- (3) उपलब्ध न्यास निधि से न्यास के उद्देश्यों को अग्रसारित करने में ऐसे अन्य व्यय का अनुमोदन करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।
- (4) प्रबन्ध समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित करना।
- (5) पूर्ववर्ती वर्ष के समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर न्यास के वार्षिक रिपोर्टों और सम्पूरित लेखाओं का अनुमोदन करना।

शासी परिषद् की 7. बैठक

- (1) शासी परिषद् प्रायः यथा आवश्यक बैठक करेगी, किन्तु प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार बैठक करना अनिवार्य होगा।
- (2) शासी परिषद् की बैठक का संचालन अध्यक्ष द्वारा यथानिर्दिष्ट रूप में की जायेगी।
- (3) ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति शासी परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई उपस्थिति से होगी।

प्रबन्ध परिषद् की 8. बैठक

किसी वित्तीय वर्ष में प्रबन्ध समिति की कम से कम छः बार बैठक होगी तथा इसका संचालन उसी रूप में किया जायेगा, जैसा कि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय।

प्रबन्ध समिति की 9. शक्तियाँ और कृत्य

प्रबन्ध समिति :-

- (1) न्यास के हितों की रक्षा हेतु अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में सम्यक रूप से तत्परतापूर्वक कार्य करेगी;

for

for

- (2) अभिनियम और तदधीन बनायी गयी विनियमवली के अन्वय में तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित खनन पट्टाधारकों से सामयिक अंशदान निधि संग्रह सुनिश्चित करेगी।
- (3) न्यास के क्रियाकलापों के लिए महागोजना दृष्टि अभिलेख तैयार करेगी।
- (4) प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं सहित न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट की तैयारी में सहायता करेगी।
- (5) वार्षिक योजना और अनुमोदित योजनाओं तथा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करेगी और उनका निष्पादन सुनिश्चित करेगी।
- (6) परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी तथा उक्त परियोजनाओं के न्यास निधि आहरण-वितरण करेगी।
- (7) न्यास निधि संचालित करेगी और उसमें तत्परतापूर्वक विनिधान करेगी तथा न्यास के नाम से खाता खोलगी और ऐसे खाते तथा विनिधानों को संचालित करेगी।
- (8) न्यास निधि की प्रगति और खनन पट्टाधारकों के प्रत्येक वर्ष की वार्षिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर शासी परिषद के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु वार्षिक प्रतिवेदन सहित सम्परीक्षित लेखा प्रस्तुत करेगी।
- (9) ऐसे अन्य कार्य करेगी, जो न्यास के सुगम कार्य संचालन तथा प्रबन्धन के लिए आवश्यक हों।
- (10) न्यास की कार्य प्रणाली के लिए प्रक्रियाओं को विनियमित करेगी।

न्यास निधि हेतु
अंशदान

10.

- (1) मुख्य खनिजों के मामले में :-
(क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अभिनियम 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व स्वीकृत खनन पट्टाधारकों को स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन सक्रियता जारी है के न्यास के द्वितीय अनुसूची के निर्देशनों में सदा स्वामित्व धनराशि से अनधिक धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से और खनन पट्टाधारक के प्रतिशत तथा विभिन्न श्रेणी के पट्टाधारकों द्वारा सदेव धनराशि, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाय, के अधीन करना होगा।
(ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अभिनियम 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् स्वीकृत किसी खनन पट्टाधारक या पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति सहित खनन पट्टाधारक को किसी स्वामित्व की धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन सक्रियता जारी है, के न्यास के इस प्रतिशत, जो केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची के निर्देशनों में सदा स्वामित्व धनराशि के विहित ऐसे प्रतिशत के एक तिहाई स्वामित्व धनराशि से अधिक न हो, के बराबर धनराशि का भुगतान करना होगा।

- (2) गौण खनिजों के मामले में :-

1. समस्त उपखनिज पट्टाधारक शायली का 25 प्रतिशत शायली के अतिरिक्त जमा करेंगे।
2. ईट गट्टा समाधान शायली 15 प्रतिशत अथवा सप्ताह गिट्टी पर 10 प्रतिशत शायली के अतिरिक्त जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में जमा की जायेगी।
3. सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली गिट्टी पर भुगतान की जाने वाली शायली की धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

4. गन्धक, जिन्को (बालू, बजरी, सीस्टर, शीपरस्टोन, सिलिकारिण्ड आदि) के पदार्थधारक
अणुधारक के द्वारा निकाली विद्ये गये उपरबिज पर भुगतान की जाने
वाली समझौती की प्रणालि का यह प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
5. उपरबिज निर्यात तथा से उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जितना खनिज

प्रमाणद्वारा प्रमाण पर सीधे जमा किये जाने पर रायस्त्री का 25 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ हो।

अतिरिक्त रूप से।
जहाँ प्रयोग परीक्षणों में उपस्थित समीप विने जाने पर उपस्थिति पर
प्रयोग की जाने वाली सगली की गन्ताश का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

मन्त्रालय की सचिवालय की 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

[illegible]

अन्तर के अन्य द्वारा प्राप्त लाभ या अन्य प्रकार से प्राप्त आय।

ज्यास की अन्य द्वारा प्राप्त आय की अन्य प्रकार से आय
यस की अन्य द्वारा प्राप्त आय की अन्य प्रकार से आय
जिस उत्तरदायी होना और उसे ज्यास द्वारा यथा विनिश्चित किये गये किसी
अन्यपक्ष के रूप में लीये गये ज्यास के खाते में उक्त पत्राक्षि को जमा करना
होगा।

किसी भी विधि से १५ वर्षों के समान विधियों का उपयोग निम्नलिखित समस्त या किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा।

(1) अनुमोदित प्रस्ताव पर लागू
(2) न्यास की प्रशासनिक लागत पर 05 प्रतिशत

जिस स्थिति काउन्सेल न्यास द्वारा अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जिला खनिज
काउन्सेल न्यास की लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष वित्तीय की समाप्ति पर की जानी
चाहिए। ऐसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाय। न्यास का अपने
समय से व्यय करने के साथ ही राज्य सरकार का ऑडिट कराना भी अनिवार्य होगा।
प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट जन सामान्य को अवलोकन हेतु उपलब्ध होनी आवश्यक है।

13. जहाँ का प्रबन्धन शाली परिषद् में निहित होगा जिसमें न्यास के समस्त सदस्य होंगे। जहाँ न्यास के दिन प्रतिदिन का प्रबन्ध नियम 4 के उप नियम (6) में यथापरिभाषित प्रबन्ध समिती द्वारा किया जायेगा। तथापि राज्य सरकार किसी भी समय प्रबन्ध समिति के प्रबन्धन में परिवर्तन करने का विनिश्चय कर सकती है।

12. (1) जारी परिषद की बैठक में समस्त विनिश्चय ग्यारीसों द्वारा किये जायेंगे और
 (2) जारी परिषद की प्रत्येक बैठक ग्यारस की बैठक समझी जायेगी।
 जारी परिषद के समस्त विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के
 बहुमत द्वारा किये जायेंगे। समान मतों की दशा में बैठक के अध्यक्ष का मतदान
 निर्णायक होगा।

(३) जब तक राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान न कर दी जाय तब तक व्यापारीकरण को व्यास के भित्तियों के किसी भाग में संशोधन का अधिकार नहीं होगा।

जिलाधिकारी
सि. स. मुख्यालय।

- (4) न्यासीगण, शारी परिषद् और प्रबन्ध समिति को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों और मार्गदर्शनों आदि के अनुसार कार्य करना होगा।

न्यास निधि का संचालन

15. न्यास निधि, न्यास के नाम से केवल किसी अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयक बैंक में रखी जायेगी। बैंक खाता राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से खोला जायेगा और उसके खाते का संचालन सदस्य सचिव और प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। न्यास इस निधि की लेखा पुस्तिका अनुरक्षित करेगा।

न्यास की परिधि

16. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन न्यास के लिए प्रोद्गूत होने वाली निधियों का प्रयोग करते हुए संबंधित जिलों के न्यास द्वारा किया जायेगा। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तथा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का समग्र लक्ष्य निम्नानुसार है :-

- (क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास संबंधी और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रम क्रियान्वित करना, परियोजनाओं और एसी योजनाओं/परियोजनाओं के लिए क्रियान्वित किये जायेंगे।
(ख) खनन वाले जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर खनन के दौरान या इसके पश्चात् पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यून करना/उसमें कमी लाना और
(ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक सम्पोषणीय जीविका सुनिश्चित करना।

अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान

17. (1) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु धनराशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 सहपठित अनुसूची V एवं अनुसूची VI के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति लोगों के प्रबंधन हेतु पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्र हेतु विस्तार) अधिनियम, 1996 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत अधिशासी (वन अधिकार हेतु चिन्हीकरण) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किया जाय।
अनुसूचित क्षेत्रान्तर्गत खनन गतिविधि से प्रभावित गांव हेतु :-
ग्राम सभा का अनुमोदन निम्न हेतु आवश्यक हैं :-
(क) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत समस्त योजनाएं, परियोजना एवं कार्यक्रम हेतु।
(ख) राज्य सरकार द्वारा वर्तमान जारी दिशा-निर्देश के अनुसार लाभार्थी का चिन्हीकरण।
(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की प्रत्येक ग्रामवार प्रगति ग्राम सभा को भेजी जानी है।
(ग्राम सभा का वही अर्थ होगा जैसा कि पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार) अधिनियम, 1956 (अधिनियम 40 ऑफ 1996) में है।

न्यास निधि के लिए

18. न्यास में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जायेगा :-
(1) न्यास निधि के अन्तर्गत 30 प्रतिशत निधि का प्रयोग निम्नलिखित

न्यास निधि के लिए

मदों में किया जायेगा -

- (क) पेयजल आपूर्ति:- केन्द्रीयकृत निर्माणकार्य प्रणाली, उस समय सेवक स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क प्रणाली के माध्यम से जल आपूर्ति से जल पाईप विछाने की अच्छी सुविधा प्रदान किया है।
- (ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय:- बिना पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में झरना, झील, तालाब, नाला, नदी और अन्य जल संचयन प्रणाली निवारण, खनन संक्रियाओं और मण्डारणों, खान से निकलने वाली खनन, खान प्रदूषण निवारण तकनीकों के कारण हुए वायु एवं मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय और कार्यशील या निष्क्रिय खानों के लिए उपाय तथा पर्यावरणीय सीमाएं एवं सामुदायिक खान निवारण से संबंधित अन्य वायु, जल तथा मृदा-संबंध प्रदूषण नियंत्रण के अन्य नीति निर्देश।
- (ग) स्वास्थ्य देखभाल:- प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल अवसरचना के सृजन पर भी केन्द्रित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करना चाहिए जो अपेक्षित आवश्यक कर्मचारी, उपकरण और आपूर्तियों के माध्यम से भी बत दिया जाना चाहिए। उस सीमा तक स्थानीय निवासियों, ग्राम और केन्द्र सरकार के विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के प्रदूषण अनुपूरक प्रवास और कार्य किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वस्थ संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञ को भी खनन से संबंधित बीमारियों और मृत्यु की देखभाल करने के लिए आवश्यक विशेष प्रशिक्षण को प्रदान किया करने के लिए ध्यानाकर्षित किया जा सकता है। प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना, खनन से प्रभावित व्यक्तियों के लिए प्रदान की जा सकती है।
- (घ) शिक्षा:- विद्यालय भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला और हस्तकला कक्ष, सामूहिक जीवनशैली वन निर्माण, पेयजल उपकरण, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों/छात्राओं के लिये आवासीय छात्रावास, खेल अवसरचना, व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधा, छात्राओं एवं अन्य सहायक कर्मचारियों को कार्य में लगाया जाना, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं (बस/ट्रेन/माईकेल/रिक्शा आदि) और पौष्टिकता से संबंधित कार्यक्रमों की व्यवस्था किया जाना।
- (ङ) महिला एवं बाल कल्याण:- मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, किशोरवयस तथा संक्रामक रोगों से संबंधित समस्याओं का पता लगाने हेतु निम्न कार्यक्रम न्यास के अधीन किये जायेंगे:
- (च) वयोवृद्ध एवं निशक्त लोगों का कल्याण:- वयोवृद्ध एवं निशक्त लोगों के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम;
- (छ) कौशल विकास:- जीविका अवलम्ब एवं आय सृजन हेतु कौशल विकास और स्थानीय मात्र व्यक्तियों के लिए आर्थिक गतिविधियों/परियोजनाओं/योजनाओं में प्रशिक्षण व्यावसायिक/कौशल विकास केन्द्र का विकास स्वरोजगार योजनाएं, स्वयं सहायता समूह अवलम्ब और ऐसी स्वरोजगार संबंधी आर्थिक क्रियाकलापों हेतु अगड़े और पिछड़े लोगों के प्रति जवाब का संपन्न समर्पित है।

(ज) **श्रवणशक्ति**— आश्रितों का संवर्धन, परिवर्धन और विस्तारण, उनके जीवन स्तरों की समझ, जल विकास और मछली पकड़ना संबंधी कार्य का व्यवस्थापन, विविध निस्तारण उपकरण और प्रमाणित तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों में संबंधित उपकरण।

(2) **अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र**— 40 प्रतिशत तक की निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगा—

- (क) **भौतिक आधारसंरचना**— अपेक्षित भौतिक अवसंरचना सड़क, पुल, स्वास्थ्य तथा जलमय संबंधी परियोजनाओं का उपकरण और अनुसंधान;
- (ख) **सिंचाई**— सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत को विकसित करना और समुद्र तथा विकसित सिंचाई तकनीकों को अंतर्भूत करना;
- (ग) **ऊर्जा एवं जलनिर्माणक विकास**— ऊर्जा एवं गर्मी जल संचयन प्रणाली के वैकल्पिक स्रोत का विकास, फसलीयानों, एकीकृत कृषि और आर्थिक एवं जलमय पुनरुत्थान का विकास;
- (घ) **खनन वाले जिला में पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कोई अन्य उपाय**—

- (एक) **फाउण्डेशन के न्यासियों द्वारा दत्त प्रयोजन हेतु तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना के अनुसार जिले में खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र का समग्र विकास;**
- (दो) **सामाजिक और आर्थिक प्रयोजनों के लिए स्थानीय अवसरधन का सृजन;**
- (तीन) **खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय जनसंख्या के दिने सामुदायिक आश्रितों और सेवाओं की व्यवस्था करना, अनुसंधान करना और उनका उच्चिकरण करना;**
- (चार) **रोजगार एवं स्वरोजगार क्षमताओं के सृजन हेतु कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा संचालित करना;**

परन्तु यह कि वर्ष में न्यास द्वारा प्राप्त कुल निधियों की 5 प्रतिशत से अनाधिक धनराशि न्यास द्वारा अपने प्रशासनिक या अधिष्ठान संबंधी व्ययों की पूर्ति के लिए व्यय की जा सकती।

परन्तु यह और भी कि न्यास की निधि या उसके किसी भाग का प्रयोग, किसी लागप्राप्ति के किसी ऋण के अग्रिम के लिए या उसे नकद अनुदान प्रदान करने के लिए नहीं किया जायेगा।

- लेखा और संपरीक्षा 19. (1) (एक) **प्रबन्ध समिति** न्यास के मामलों का सत्य और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिए न्यास निधि के संबंध में समुचित लेखापुरितका, दस्तावेज और अन्य अभिलेख अनुरक्षित करेगी या अनुरक्षित करायेगी;
- (दो) **न्यास के लेखा की संपरीक्षा** कम से कम एक वर्ष पूरा होने पर किसी अर्ह संपरीक्षक द्वारा की जायेगी;
- (तीन) **न्यास के संपरीक्षकों की नियुक्ति**, शासी परिषद् की बैठक में राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिसूचित अनुमोदित संपरीक्षक सूची से न्यासियों द्वारा ऐसी निबन्धन एवं शर्तों, जैसा कि न्यासियों द्वारा विनिश्चित किया जाय, पर की जायेगी;
- (चार) **संपरीक्षकों को न्यासियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।**

Handwritten signature

जिलाधिकारी
टिहरी महानगर।

- (2) उपनियम (1) में अन्तर्दिष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी राज्य सरकार संपरीक्षक या सम्परीक्षकों को नियुक्त कर सकती है अथवा महालेखाकार से किसी विशिष्ट वर्ष अथवा अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किटे गये निबन्धनों और शर्तों पर लेखापरीक्षा हेतु अनुरोध कर सकेगी।
- (3) न्यास, अनुमोदित बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं और परियोजनाओं सहित वार्षिक योजना, जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनके संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।
- (4) न्यास, अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के संबंध में त्रैमासिक प्रगति के 45 दिन के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय निबन्धनों में एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे तत्पश्चात् तत्काल संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु जिला पंचायत और जिला प्रशासन को अग्रसारित करेगा।
- (5) न्यास, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना रिपोर्ट और अनुमोदित संपरीक्षा रिपोर्ट शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर जिला पंचायत, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को उनके संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।

न्यास को संदेय
धनराशि का
अनुश्रवण

20. (1) प्रत्येक पट्टेदार को जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास हेतु संदेय धनराशि, उस अधिकारी को जिसे स्वामित्व धनराशि संदेय हो, सूचित करके ऐसे बैंक खाते में जैसा कि फाउण्डेशन विनिर्दिष्ट करे, विप्रेषित करना होगा।
- (2) प्रत्येक अधिकारी जो स्वामित्व धनराशि संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत हो, को प्रत्येक पट्टेदार द्वारा संदेय और संदत्त धनराशि की पंजी अनुरक्षित करनी होगी और तत्संबंधी समेकित मासिक विवरण प्रत्येक माह की समाप्ति पर समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना होगा।
- (3) योजनाओं के मध्य अपेक्षाकृत अधिक समन्वयात्मक सहक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति के अधीन गठित मंच, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की पहल है, उक्त समिति के मार्गदर्शनों के अनुसार जिला स्तर पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन योजनाओं का अनुश्रवण करेगा।

प्रशासनिक
व्यवस्था

21. (1) राज्य सरकार न्यास के प्रबन्ध एवं वार्षिक योजना के निष्पादन हेतु उक्त प्रयोजनार्थ यथापेक्षित जिला पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों सहित अपने निर्यंत्रणाधीन कार्मिकों की सेवायें प्रदान करेगी।
- (2) न्यास स्वयं को प्रशासनिक और प्राविधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के सरकारी विभागों से अपेक्षित संख्या में प्रमुख कार्मिकों या जिला परिषद् या ऐसे अन्य संवर्ग के नियमित कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसे कार्मिकों की सेवायें उनके अपने-अपने संवर्गों में बनी रहेंगी। न्यास इस प्रयोजन हेतु अर्जित निधियों का 3 प्रतिशत तक व्यय वहन कर सकेगा।
- (3) न्यास, सेवा प्रदाताओं से ऐसी सेवा प्रदान करने हेतु कह सकता है, जैसा कि न्यास के सुगम कार्य संचालन हेतु आवश्यक हों और अपने कार्य संचालन हेतु उपगत होने वाले आकस्मिक व्यय का उपबन्ध कर सकेगा।
- (4) जिला खनिज न्यास संस्था की प्रशासनिक, उपलब्धता एवं निष्पादन व्यय आदि पर जो भी व्यय होगा, वो न्यास की वार्षिक अंशदान निधि के 5 प्रतिशत

से अधिक नहीं होगा। जिला खनिज संस्थान न्यास के लिए कोई भी अतिरिक्त पद सृजित नहीं किये जायेंगे। यथा आवश्यकतानुसार पदों/वाहनों एवं अन्य सुविधाओं हेतु आउटसोर्स और अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति आदि की व्यवस्था अपनाई जायेगी। न्यास हेतु वाहन का क्रय यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक प्रकार में शासन (वित्त विभाग) की सहमति प्राप्त की जायेगी।

संशोधन

22. राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के बिना किसी भी प्रकार का संशोधन जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास निष्कावली 2017 के अधीन गठित होने वाले न्यास में नहीं किया जायेगा।

न्यासियों का दायित्व

23. (1) न्यासीगण सद्भावनापूर्वक और परिश्रम के साथ वास्तविक रूप में की गयी किसी बात कि लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। न्यासीगण ऐसे किसी बैंकर, ब्रोकर, अभिरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के लिये भी दायी या उत्तरदायी नहीं होंगे, जिनके पास उक्त व्यय धनराशि जमा की जाय या रखी जाय, न तो न्यास निधि के किन्हीं विनियानों में होने वाली कमी या अपर्याप्तता के लिये और न ही अन्यथा किसी अनेच्छिक क्षति के लिये दायी या उत्तरदायी होंगे।
- (2) न्यासीगण और प्रत्येक न्यायवादी या न्यासीगण द्वारा नियुक्त अभिकर्ता न्यास के निष्पादन में उपगत समस्त देनदारियों, क्षतियों और व्यय के संबंध में न्यास निधि से क्षतिपूर्ति किये जाने के लिये या घोर उपेक्षा और/या जानबूझकर किये जाने वाले कदाचार से उद्भूत होने वाले विवेकों से भिन्न स्वयं में निहित या प्रतिनिधानित किसी शक्ति, प्राधिकार या विवेकाधिकार के लिये उत्तरदायी होंगे; परन्तु यह कि ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी दशा में कुल अंशदानों से अधिक नहीं होंगी।

पारिश्रमिक

न्यास की मुहर

24. न्यासीगण अपनी सेवाओं के लिये किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।
25. न्यासीगण शासी परिषद् की बैठक में, न्यास के प्रयोजन हेतु मुहर उपलब्ध कराने का विनिश्चय कर सकेंगे और उन्हें समय-समय पर यह शक्ति होगी कि वे उसे नष्ट कर दें और उसके बदले में नयी मुहर रखें। न्यास की मुहर कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी और अध्यक्ष को न्यास के लिये और उसकी ओर से उसका उपयोग करने का प्राधिकार प्राप्त होगा।

प्रतिसंहरणीयता

26. यह न्यास राज्य सरकार के विवेक पर प्रतिसंहरणीय होगा, उक्त न्यास उस समय तक अस्तित्व में रहेगा, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिश्चित करे। न्यास समाप्त होने की दशा में, न्यास की समस्त आस्तियां और देनदारियां राज्य सरकार में स्वतः निहित/अन्तर्गत हो जायेंगी।

साक्षात् - 1.

के.एच. गोस्वामी
वरिष्ठ सहायक, जिला कार्यालय

2-

वीरेंद्र सिंह राणा
वरिष्ठ सहायक, जिला कार्यालय

अज्ञात से

(आनंद बर्दान)
प्रमुख सचिव

जिलाधिकारी
दिल्ली गढ़वाल।